प्रकरण संख्या :– 200 / 2025

कोशल्या वगै0 बनाम गुल्ली आदि

प्रार्थना पत्र अ. धा. 111, 128 राज. भू राजस्व अधिनियम

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.07.2025	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि राजस्व ग्राम भाटीवाड़ तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं की सरहद में स्थित हाल भूमि खसरा नं. 28, 29, 30, 31, 32 भूमि अवस्थित है जो आवेदकगण व अनावेदिका संख्या 1 की खातेदारी भूमि है। आवेदकगण ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार के आदेश से दिनांक 13.06.2025 को पटवारी हल्का से करवाया है जिससे प्रार्थीगण पूर्णतया संतुष्ट है। उक्त भूमि की सीमा चिन्ह के अनुसार प्रार्थीगण पत्थरगडी करवाना चाहते है। सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगडी करवाने में पक्षकारान को कोई आपति नहीं है। अतः मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट पत्थरगडी करवाने के आदेश पारित किये जायें। जबाब में अधिवक्ता अनावेदिका संख्या 1 ने सहमति जाहिर की। बहस पत्रावली पर सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार ग्राम भाटीवाड़ तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं की सरहद में स्थित हाल भूमि खसरा नं. 28, 29, 30, 31, 32 अवस्थित है जो मुताबिक जमांबंदी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि दर्ज रिकॉर्ड होना साबित है। आवेदक उक्त भूमि का सीमाज्ञान संलग्न रिपोर्ट दिनांक 13.06.2025 के अनुसार पत्थरगडी करवाना चाहता है। चूंकि खातेदार अपनी खातेदारी भूमि पर सीमा चिन्ह कायम करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। लिहाजा :– –: आदेश :– प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम भाटीवाड़ तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं की सरहद में स्थित हाल भूमि खसरा नं. 28, 29, 30, 31, 32 भूमि के चारों ओर मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 13.06.2025 के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में कब्जा काश्त का कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार पत्थरगड़ी करवायें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.07.2025 को खुले इजलास सुनाया गया। (हवाई सिंह यादव) 4/7/25 उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	